भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2125

(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर के लिए)

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

2125. डॉ. निशिकान्त दुबे :

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

डॉ. विनोद कुमार बिंद :

श्री बिभु प्रसाद तराई :

श्री अनिल फिरोजिया :

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किस प्रकार ''राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम'' से प्राप्त सीख को प्रशासनिक विभागों के नियमित कामकाज में संस्थागत रूप देने की योजना बना रही है;

(ख) क्या उक्त प्रशिक्षण में मामलों के अध्ययन पर आधारित व्यावहारिक घटक शामिल किए गए हैं, जिससे कि प्रदत्त शिक्षा की वास्तविक दुनिया में प्रयोज्यता सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शासन के सभी स्तरों पर एक समान क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य सरकार के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासनिक निकायों तक विस्तारित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम एक वृहद स्तर का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्षमता विकास आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य में जन सेवा (सेवा भाव) की भावना और संतुष्टि का बोध विकसित करना है।

इसे कार्यान्वित करने के लिए, सभी मंत्रालयों/विभागों में तीन दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला के माध्यम से मुख्य प्रशिक्षकों (मास्टर ट्रेनर्स) को प्रशिक्षित किया गया है। परिणामस्वरुप, मुख्य प्रशिक्षक अब अपने मंत्रालय/विभाग के सभी कर्मचारियों को 30-35 कार्मिकों के बैच में प्रशिक्षण दे रहे हैं।

(ख) : यह कार्यक्रम, सरकारी कर्मचारी के संदर्भ से जुड़ी हुई परस्पर शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. परिस्थितिजन्य अभ्यास, जहां प्रतिभागी अपनी कार्यप्रणाली के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक रूप से चिंतन करते हैं (कार्यप्रणाली के कर्मयोगी तरीके की शुरुआत)।
2. प्रतिभागियों द्वारा किया जाने वाला विस्तृत टीम डिजाइन अभ्यास, जहां वे उनके अनुभाग में उनकी वर्तमान भूमिकाओं और कार्यों पर तथा विभाग और राष्ट्रीय विकास के बड़े लक्ष्यों के लिए उनके द्वारा दिए जा रहे योगदान पर प्रतिबिंब डालते हैं।

(ग) और (घ) : वर्तमान योजना के अनुसार, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।

*****